

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

अतारंकित प्रश्न ङ : 1139

22 ढ , 2019

प्रश्न ढ

कसर और अन्य रोगों के मामलों म वृद्धि

1139. श्रु ढ  
श्रु ङ ढ

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करगे कि:

- (क) क्या सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019 को अद्यतन रिपोट के अनुसार देश म कसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और निमोनिया के मामलों म तीव्र वृद्धि हुई है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) सरकार द्वारा अधिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान कर इन रोगों के मामलों म वृद्धि को इस चिन्ताजनक स्थिति के समाधन हेतु क्या कदम उठाए गए और उठाए जाने प्रस्तावित ह?

ढ

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य ढ (श्रु ढ )

(क)और (ख) राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019 पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई रिपोट के आंकडे, कसर, मधुमेह, हृदयवादिता रोगों और आघात के निवारण और नियंत्रण पर राष्ट्रीय कायक्रम (एनपीसीडीसीएस) के तहत गैर संचारी रोग (एनसीडी) क्लिनिकों म जांचे गए व्यक्तियों म कसर, मधुमेह और उच्च रक्तचाप से ग्रस्त पाए गए व्यक्तियों को संख्या के बारे म है। सामान्य एनसीडी (मधुमेह, उच्च रक्तचाप और तीन सामान्य कसर-मुख, स्तन और गभाशय का कसर) के लिए एनपीसीडीसीएस के तहत को गई अवसरपरक जांच (स्क्रीनिंग) जिला और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) स्तर पर स्थित एनसीडी क्लिनिकों म आने वाले लोगों को जाती है। एनसीडी क्लिनिकों म आने और जांच करवाने वाले लोगों को जैसे-जैसे संख्या बढ़ती है रोग का शीघ्र पता लगने के मामलों म तैसे-तैसे वृद्धि होती है। तथापि, यह कसर, मधुमेह और उच्च रक्तचाप को समग्र व्याप्तता का सूचक नहीं है। भारत म कसर के अनुमान भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के तहत राष्ट्रीय कसर रजिस्ट्री कायक्रम

(एनसीआरपी) पर आधारित है। एनसीआरपी के आंकड़ों के अनुसार, देश में कसर के नए मामले की संख्या वर्ष 2016 में 14.51 लाख और वर्ष 2018 में 15.86 लाख थी। आईसीएमआर द्वारा “भारत: देश के राज्यों का स्वास्थ्य” विषय पर कराए गए अध्ययन के अनुसार, वर्ष 1990 से 2016 तक विकलांगता समायोजित जीवन वर्षों (डीएएलवाई) में मधुमेह के मामले में 80 प्रतिशत और उच्च रक्तचाप के मामले में 24.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अनुमान है कि देश में बचपन में (5 वर्ष से कम आयु) न्यूमोनिया के प्रतिवर्ष 29.8 मामले मिलते हैं।

(ग) राज्य स्वास्थ्य का विषय है। तथापि, केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों को आगे बढ़ाने में सहायता करती है। कसर, मधुमेह, हृदयवादी रोगों और आघात के निवारण और नियंत्रण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस) एनएचएम के तहत, क्रियान्वित किया जा रहा है जिसमें अवसंरचना को सुदृढ़ करने, मानव संसाधन के विकास, स्वास्थ्य संवर्धन और जागरूकता सृजन, शीघ्र रोग निदान, प्रबंधन और उपचार के लिए किसी उपयुक्त स्तर के संस्थान में भेजने पर विशेष बल दिया जाता है।

कसर सहित गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) को चुनौती से निपटने के लिए, जिला स्तर पर 599 एनसीडी क्लिनिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर 3274 एनसीडी क्लिनिक इस कार्यक्रम के तहत स्थापित किए गए हैं। एनएचएम के तहत सामान्य एनसीडी (मधुमेह, उच्च रक्तचाप और सामान्य कसर नामतः मुख, स्तन और गभाशय का कसर) के निवारण, नियंत्रण और जांच (स्क्रीनिंग) के लिए जनसंख्या स्तर पर पहले 215 से अधिक जिलों में प्रारंभ को गई है। सामान्य एनसीडी जिसमें सामान्य कसर अर्थात् मुख, स्तन और गभाशय का कसर शामिल है, को स्क्रीनिंग आयुष्मान भारत- स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्रों के अंतर्गत सेवा प्रदायगी का अभिन्न अंग है। एनएचएम के तहत, प्राथमिक और द्वितीयक स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी जरूरतों के लिए अनिवाय औषधियां और नैदानिक सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। स्वास्थ्य खानपान और नियमित शारीरिक व्यायाम के माध्यम स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देने संबंधी पहलों के साथ-साथ तंबाकू उत्पादों के प्रयोग को हतोत्साहित करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं क्योंकि कसर के प्रमुख जोखिम कारकों में तंबाकू सेवन भी शामिल है।

कसर को तृतीयक देखभाल हेतु सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, केन्द्र सरकार कसर स्कोम के लिए तृतीयक देखभाल के सुदृढीकरण को कार्यान्वित कर रही है जिसके तहत 18 राज्य कसर संस्थानों और 20 तृतीयक देखभाल कसर केन्द्रों को स्थापना की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, पीएमएसएसवाई के तहत नए एम्स और उन्नयन किए गए अनेक संस्थानों के मामले में ऑनकोलोजी भी प्रमुख क्षेत्र है जिस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हरियाणा में झज्जर में राष्ट्रीय कसर संस्थान और कोलकाता में चितरंजन राष्ट्रीय कसर संस्थान की स्थापना की भी मंजूरी दी गई है। विभिन्न कसरों का उपचार पीएमजेएवाई के अंतर्गत उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त रोगियों को कसर और हृदयवादी रोगों हेतु औषधियां और इम्प्लांट की छूट प्राप्त कोमताओं पर उपलब्ध कराने के लिए उपचार हेतु वहनीय दवाएं और इम्प्लांट (अमृत) दीनदयाल नामक दुकान 169 संस्थानों/अस्पतालों में खोली गई है। राष्ट्रीय आरोग्य

निधि को अम्ब्रेला स्कोम के तहत, गरीबी से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को सरकारी अस्पतालों में कसर के उपचार सहित अपने उपचार के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

बचपन में न्यूमोनिया को समस्या के समाधान के लिए संरक्षात्मक, निवारक और उपचारात्मक (पीपीटी क्रियाकलापों) को प्रभावी कवरेज सुनिश्चित को जा रही है जिसमें अन्यत्र स्तनपान, पर्याप्त पूरक आहार और विटामिन ए अनुपूरक, हिब और खसरे के विरुद्ध टीकाकरण, सुरक्षित वाश संबंधी आदतों पर विशेष बल दिया जाता है। उपरोक्त पहल के अलावा, पांच उच्च रोग भार वाले राज्यों में टीकों के समूह में न्यमोकोकल कन्जुगो (पीसीवी) वैक्सीन को भी जोड़ा गया है।

बचपन के न्यूमोनियो को समस्या को दूर करने के लिए, न्यूमोनिया को सफलतापूर्वक निष्क्रिय करने के लिए सामाजिक जागरूकता और कारवाई (सांस) नामक पहल 16 नवम्बर, 2019 को प्रारंभ को गई है। इस पहल के अंतर्गत और अधिक जागरूकता के लिए बचपन के न्यूमोनिया के प्रबंधन हेतु संशोधित दिशा-निर्देश कौशल आधारित प्रशिक्षण और सांस अभियान शामिल हैं।

\*\*\*\*\*